

45 सन् 2019 किस्म मुकदमा बाद

बनाम कुम्भी राजोत वगैरह

आदेशिका

हस्ताक्षर/सूचना

बाद का बाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रार ही कर
पेश हुआ है। अतः प्रतिवादी की दलील
जिसे सम्मत भय नरुल बाद पत्र से
ही जा कर पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 22.7.19
दे पेश ही।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

12/03 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया
वकीलवादी द्वारा प्रतिवादी स. ① ② ③ के सम्मत
आदेश तारीख ले रहे हैं। जिस पर वकीलवादी द्वारा
नमशा तलबाना साथ सम्मत कर कर पुनः पेश कर
निवेदन किया है कि सम्मत दलील दिलायी जाये। अतः
सम्मत जारी लिये जाकर वकीलवादी को दलील दिलाई
जावे। पत्रावली दिनांक 19/08/19 को पेश हो।

13/8 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपाधीन
है अधिवक्ता वारी ने Note pressed
कर प्रकरण में अगले कोर्ट शपथवाही
नहीं पायी है। अतः प्रकरण में शपथवाही
नहीं चलने से इसी श्रेण पर प्रकरण
शारीर किया जा रहा है। पत्रावली के फल
शुभ्र हो कर नरुल से कर ही।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाय।

Not pre
19/8



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द